

मध्यप्रदेश विधान सभा

पत्रक भाग-दो

सोमवार, दिनांक 27 फरवरी, 2017 (फाल्गुन 8, 1938)

मुख्य प्रतिपक्षी दल के नेता का मनोनयन

माननीय अध्यक्ष द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 275 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन निर्मित अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 92 (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विधान सभा में मुख्य प्रतिपक्षी दल इंडियन नेशनल कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री अजय सिंह, सदस्य को विधिवत् नेता प्रतिपक्ष मान्य किया गया है.

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.